

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part, II, Section 3, and Sub-Section- (i)]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
NOTIFICATION

New Delhi, dated the 03rd February, 2020

G.S.R.____ (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 469 read with section 230 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Company Law Tribunal Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Company Law Tribunal (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Company Law Tribunal Rules, 2016 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 80, the following rule shall be inserted, namely:-

“80A. Application under section 230. - An application under sub-section (12) of section 230 may be made in Form NCLT-1 and shall be accompanied with such documents as are mentioned in Annexure B.”.

3. In the principal rules, in the SCHEDULE OF FEES, after S.No.22 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-


“22A.	Sec 230(12)	Application in cases of takeover offer of companies which are not listed.	Rs. 5,000”
-------	----------------	---	------------

4. In the principal rules, in Annexure-A, under the heading Form No. NCLT.1, after the figure ‘80’, the figure and letter “80A” shall be inserted.

5. In the principal rules, in Annexure-B, after S.No.12 and the entries relating thereto, the following S.No. shall be inserted, namely:-

"12A.	Sec 230(12)	Application in cases of takeover offer of companies which are not listed.	1. Affidavit verifying the petition 2. Memorandum of appearance with copy of the Board's Resolution or the executed vakalatnama, as the case may be. 3. Documents in support of the grievance against the takeover. 4. Any other relevant document."
-------	----------------	---	---

[F. No. 1/30/2013 -CL.V]


03/02/2020

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 716(E), dated the 21st July, 2016 and amended *vide* notification number G.S.R. 1159(E) dated the 20th December, 2016 and *vide* notification number G.S.R. 840 (E) dated 5th July, 2017 and *vide* notification number G.S.R. 29(E) dated 15th January, 2019 and *vide* notification number G.S.R. 351(E) dated 08th May, 2019.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3 और उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 03 फरवरी, 2020

सा.का.नि. _____ (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 230 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 (जिसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 80 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“80क. धारा 230 के अधीन आवेदन.- प्ररूप एनसीएलटी-1 में धारा 230 की उपधारा (12) के अधीन आवेदन किया जा सकेगा है और इसके साथ उपाबंध ख में यथा उल्लिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।”।

3. मूल नियमों में फीस की अनुसूची में, क्रम संख्या 22 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-


“22क	धारा 230(12)	असूचीबद्ध कंपनियों के कार्य संभालने में लेने के प्रस्ताव के मामले में आवेदन	5000/-रुपये”
------	--------------	---	--------------

4. मूल नियमों के, उपाबंध-क में, प्ररूप सं. एनसीएलटी.1 शीर्षक के अधीन, अंक '80' के पश्चात् अंक और अक्षर “80क” अतःस्थापित किए जाएंगे।

5. मूल नियमों के, उपाबंध-ख में, क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या अतःस्थापित की जाएंगी:-

"12क	धारा 230(12)	असूचीबद्ध कंपनियों के कार्य संभालने में लेने के प्रस्ताव के मामले में आवेदन	<p>1. याचिका का सत्यापन करने वाला शपथ-पत्र</p> <p>2. बोर्ड संकल्प या कार्यान्वित वकालतनामा, जैसा भी मामला हो, की प्रति सहित उपस्थिति ज्ञापन।</p> <p>3. कार्यभार संभालने में लेने के विरुद्ध शिकायत के समर्थन में दस्तावेज</p> <p>4. कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज।"</p>
------	--------------	---	--

[फाइल.सं.1/30/2013-सीएल-V]


03/02/2020
(के.वी.आर.मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड(i) में सा.का.नि. सं 716(अ), तारीख 21 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1159(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2016 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 840(अ), तारीख 05 जुलाई, 2017 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 29(अ), तारीख 15 जनवरी, 2019 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 351(अ), तारीख 08 मई, 2019 द्वारा इसमें संशोधन किए गए।